न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —74 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024 / 206

1. तिलकराज पुत्र श्री राजाराम जाति चौबदार निवासी 570 बी संजय नगर विज्ञान नगर कोटा
2. कमलेश बाई पत्नी श्री तिलकराज जाति चौबदार निवासी 570 बी संजय नगर विज्ञान नगर कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजाराम चौबदार पुत्र श्री किशन गोपाल
2. कमला बाई पत्नी श्री राजाराम जातियान चौबदार निवासीगण 570 बी संजयनगर विज्ञान नगर कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 30.10.2024 प्रार्थना पत्र भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रभूदयाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 03.03.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर दिनांक 30.10.2024 को आदेश पारित किया है कि— "प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । चूंकिं प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते है , आय का पर्याप्त स्रोत नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी सार संभाल एवं भरण पोषण करने में असमर्थ है । अतः अप्रार्थी नं0 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपने माता पिता को 4000/— मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों । "
2. उक्त आदेश दिनांक 30.10.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.11.2024 को पेश की गई है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सीनियर सिटीजन है, जैसे तैसे अपना व अपने मंदबुद्वी पुत्र का पालन पोषण कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न तरीके से कार्य व रोजगार कर आमदनी की जा रही है । प्रार्थीगण के पास कोई का साधन नहीं है जबकि अप्रार्थीगण उनको भरण पोषण करने में पूर्णतः सक्षम है तथा प्रार्थीगण को स्वयं के भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण से 5000/— 5000/— भरण पोषण की राशि दिलाने जाने हेतु प्रार्थना की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2023 से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को 4000/— प्रति माह भरण पोषण राशि दिलवाई जाने का निर्णय पारित किया है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अप्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की ओर कोई गौर नहीं किया गया ओर न ही अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये तथ्यों पर ध्यान दिया गया है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र

जिला कलेक्टर
कोटा

पर विश्वास करते हुए आदेश दिनांक 30.10.2024 को पारित किया है जो विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री धीरज कुमार जैन का वकालतनामा पेश हुआ है । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई । वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि में वर्णित सिद्वान्तों का पालन न कर एक तरफा आदेश पारित किया गया है । वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम की धारा 13 में वर्णित सिद्वान्तों का पालन न कर माननीय न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों में सुलह कराने का प्रयास नहीं किया गया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की किसी तरह से कोई जांच नहीं की गई ओर ना ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आय के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जबकि प्रार्थीगण स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में मेहनत मजदूरी करना वर्णित किया है । वर्तमान मिनिमम मजदूरी 300/– मजदूर कमाता है इस प्रकार प्रार्थीगण 9000/– मासिक कमाते है इस प्रकार दौनों प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 18 हजार रूपये मासिक कमाने में सक्षम है । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दो पुत्रों ओमप्रकाश व बन्टी को मन्दबुद्वि बताकर न्यायालय की सहानुभूति प्राप्त करने की कौशिश की है जबकि दोनों पुत्र स्वस्थचित है ओर मेहनत मजदूरी करते है तथा प्रार्थीगण के साथ मकान में निवास करते है । अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज /मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जिसस दोनों पुत्रों ओमप्रकाश व बन्टी को मन्दबुद्वि माना जावें । वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम की धारा 13(1) की उपमद 4 में वर्णित सिद्वान्तों के अनुसार धारा 13(1) की उपमद 1,2,3 की पालना नहीं की जाती तो धारा 13(1) की उपमद 4 में वर्णित प्रतिपादित सिद्वान्तों के तहत प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने की हिदायत देगा तथा बाद साक्ष्य प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिये था जबकि उक्त न्यायालय निर्णय में किसी भी पक्षकार की साक्ष्य अभिलिखित होना आदेश दिनांक 30.10.2024 में वर्णित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया है कि अधिनियम में पुत्रवधु से भरण पोषण मांग करने का कोई नियम नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सम्पत्ति की भी कोई जांच नहीं की है । अप्रार्थी अपीलान्ट कम 1 मेहनत मजदूरी करता है तथा उसे रोज रोज मजदूरी का काम भी नहीं मिलता है उसके उपर उसकी पत्नि व दो पुत्र 15 व 17 वर्ष के है जिनके जीवन निर्वाह का भी दायित्व है, यदि उसके द्वारा 4000/– प्रार्थीगण को दिये जाते है तो उसके पुत्र पुत्री व पत्नि के भूखों मरने की नौबत पैदा हो जावेगी । न्यायालय को आज्ञापक सिद्वान्त है कि वह निर्णय पारित करते समय पक्षकारों की वर्तमान आय क्षमता तथा भविष्य की आय क्षमता व संभावित आय क्षमता तथा प्राप्तकर्ता की जरूरत तथा भुगतानकर्ता की आय को ध्यान में रखते हुये, आदेश पारित करना होता है जबकि उक्त निर्णय दिनांक 30.10.2024 में ऐसा कोई कथन वर्णित नहीं है । वर्तमान में प्रार्थीगण सरकार द्वारा वृद्वावस्था पेंशन 1500+1500 कुल 3000/– भी प्राप्त कर रहे है । इस प्रकार प्रार्थीगण अपना भरण पोषण करने में सक्षम है । अपीलान्ट अत्यन्त गरीब है तथा अपीलान्ट कम 1 की पत्नी अपीलान्ट कम 2 कमलेश कुमारी सन 2019 में कमर व कूल्हे के दर्द से परेशान थी जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज कोटा में चला, जहां पर ऑपरेशन का खर्चा 2–3 लाख रू0 बताया,ईलाज के पैसों की व्यवस्था नहीं होने से लोगों से तथा पत्रिका कार्यालय में जाकर मदद की गुहार की, जिससे कोटा शहर के वासियों के द्वारा बढ चढ कर सहयोग राशि की व्यवस्था की जिससे उसका ऑपरेशन हो सका । जिससे उसे दूसरी जिन्दगी मिली । पत्रिका की कटिंग दिनांक 23.6.2019 संलग्न है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2024 में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम की नियमों की पालना नहीं की गई है ओर ना ही उनकी मौखिक साक्ष्य ली जाकर उनको बचाव का अवसर दिया गया है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेज पर निर्णय दिनांक 30.10.2024 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण व कानूनी प्रावधान के तहत पारित नहीं होने से आदेश निरस्त किया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की मंशा के अनुरूप ही निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया है तथा अपीलांट ने अपना जवाब भी प्रस्तुत किया है, किन्तु अप्रार्थीगण अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 13 का कोई उल्लेख नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में कोई तथ्य पेश नहीं किये है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अधिनियम की मंशा के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है जो उचित है । प्रस्तुत अपील विधि अनुरूप नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.2024 के विरूद्व दिनांक 22.11.2022 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में तथ्य अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट मजदूरी से 18 हजार रूपये मासिक कमाने में सक्षम होना, तथा पक्षकारों की सम्पत्ति की कोई जांच नहीं करने का तथ्य अंकित किया है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण वरिष्ठ नागरिक है, तथा अपीलांटगण चाहते है कि वह मजदूरी करें, जबकि अधिनियम की मंशा यह है कि वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं देखभाल उनके पुत्र एवं नातेदार का है । उक्त जिम्मेदारी अपीलांटगण वहन नहीं करना चाहते है जो उचित नहीं है, साथ ही अपीलांट संजय नगर स्थित मकान को पुश्तैनी बताकर रहने का अधिकार अपीलांट / रेस्पोडेन्ट को कोपार्सनर की हेसियत से रहने का अधिकारी बताया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पट्टे की फोटो प्रति संलग्न है जिस अनुसार उक्त मकान का कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पट्टा कमांक/290 दिनांक 17.8.2003 से रेस्पोडेन्टगण राजाराम एवं कमला बाई के नाम से जारीशुदा है, इस प्रकार उक्त मकान का मालिकाना हक प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण का ही है । रेस्पोडेन्टगण माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व पुत्रों का है । माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ ही बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट इस जिम्मेदारी से दूर नहीं रह सकते है । इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा जिस प्रकार से तथ्य अपील में अंकित किये है वह आधारहीन है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की मंशा के अनुरूप ही निर्णय पारित किया गया है जो उचित है । अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2024 उचित होने से हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा